प्रेस नोट- थाना कलान
जनपद शाहजहांपुर

सराहनीय कार्य दिनांक 04.01.2025

थाना कलान पर पंजीकृत मु0अ0सं0 06/25 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस में वादी की जेब से 10 हजार रुपये निकालने वाले अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहांपुर के निर्देशानुसार, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व श्रीमान क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कलान के नेतृत्व में संदिग्ध व्यक्ति चैकिंग /विवेचना निस्तारण के क्रम मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कलान पर पंजीकृत मु0अ0सं0 06/25 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस में वादी श्री विकास पुत्र सुरेश नाई निवासी ग्राम धर्मपुर थाना कलान जनपद शाहजहांपुर दिनांक 03.01.2025 को समय करीब 14.00 बजे बैंक ऑफ़ बड़ौदा शाखा रफियाबाद कलान में रुपए जमा करने के लिए लाईन में लगे था तभी पीछे से वादी के पेन्ट की पिछली जेब में हाथ डालकर अभियुक्त अर्जुन उर्फ करन पुत्र राजू निवासी मानपुरी थाना कोतवाली जिला एटा ने चुपके से 10000 रूपये निकाल लिए। जब वादी को जानकारी हुई तो अर्जुन उर्फ करन उपरोक्त बैंक से भाग निकला जिसे वादी ने बैंक में मौजूद जनता के लोगों की मदद से बैंक के बाहर पकड़ लिया और चोरी किये हुये 10000 रूपये बरामद कर मय अभियुक्त के थाना हाजा पर लाया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 06/25 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस बनाम अर्जुन उर्फ करन पुत्र राजू निवासी मानपुरी थाना कोतवाली जिला एटा के पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. अर्जुन उर्फ करन पुत्र राजू निवासी मानपुरी थाना कोतवाली जिला एटा

पंजीकृत अभियोग का विवरणः—

- मु0अ0सं0 006/25 धारा 303(2)/ 317(2) बीएनएस थाना कलान जनपद शाहजहांपुर

बरामदगी का विवरणः-

- वादी की पहनी पैंट की पिछली जेब से निकाले दस हजार रुपये